मोहम्मद जिलानी

त्याग

ई-मेल-mohdjeelani219@gmail.com

आज सोम बाबू के घर मेहमानों की आवा-जाही लगी हुई थी। आज उनके इकलौते बेटे मोहन की सगाई होने वाली है। इतने में लड़की वाले आ गये। बड़े से हॉल में सुंदर, सजीला और आकर्षक मोहन आँखों पर काला चश्मा लगाऐ बैठा हुआ था। हॉल मे शांति छा गई। जब लड़की डॉ. सुधा ने पूछा, "मोहन बाबू, आपने मुझे पहिचाना क्या? हम दोनों एक ही साथ 12वीं तक सहपाठी थे। इस वक्त मैं नेत्र चिकित्सक हूँ।"

"अरे, हाँ याद आ रहा है।"

"आपकी दिनचर्या क्या है?"

"मै संगीत महाविद्यालय में प्राध्यापक हूँ। गायन व संगीत सिखाता हूँ।" मोहन ने संतुलित-सा जवाब दिया।

"विवाह के बारे में आपके क्या विचार हैं?" डॉ. सुधा के पूछने पर मोहन ने कहा, "दो अजनबियों के विश्वास के आधार पर प्रगाढ़ संबंध, जो जीवनभर बंधा हुआ होता है।"

"कुछ समय में हमारी सगाई होने वाली है। क्या आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे?"

मोहन ने धीमे स्वर में कहा, "वह नवयुवक क्या सवाल करेगा,जिसका जीवन अंधकार मे डूबा हुआ है। कॉलेज के दिनों में ही मेरी आँखों की रोशनी चली गई थी।"

"हाँ, मुझे उस हादसे का पता चल चुका था। मोहन बाबू , मैं आपको स्कूल के समय से ही प्रेम करती रही हूँ।" यह सुनकर वधूपक्ष में ख़लबली सी मच गयी। लड़की के पिता ने कहा, "बेटी, तू यह क्या कह रही है। यह बात तुम्हें पहले से मालूम थी। तुम एक डॉक्टर हो।" माहौल में कोलाहल-सा मच गया।।डॉ. सुधा ने पूछा, "यही बात यदि शादी के बाद किसी दुर्घटना में हम दोनों में से किसी के साथ घटती, तब हम क्या किए होते?"

यह सुनकर मोहन के दादाजी कहने लगे, "तू धन्य है बेटी, तेरे विचारों से भारतीय सभ्यता झलकती है। भारत की नारी हर समय त्याग करती आयी है।"

ख़ामोशी को तोड़ते हुए डॉ. सुधा ने कहा, "यह रिश्ता मुझे मंजूर है।"

यह सुनकर शांत माहौल संतोष में बदल गया।

मोहम्मद जिलानी

आशियाना

"चल भाग यहाँ से।" कब्रिस्तान के चौकीदार ने सोते हुए भिखारी को फटकार लगायी।

भिखारी शमशू ने उठते हुए कहा, "भय्ये, सिर्फ रातभर ही तो सोता हूँ। किसी को क्या तकलीफ हो रही है?"

"अरे भाई, समझता क्यों नहीं। यह कब्रिस्तान है। रिश्तेदार एतराज करते हैं।"

"भला इसमें एतराज की क्या बात है?"

"इन्हें भी तो सुकून चाहिए। फिर आये दिन जादू-टोना के लिए माँत्रिक कब्र खोदकर मुर्दे गायब करते हैं। मैंने तुझे कई बार समझाया, पर तू बाज़ नही आता।" यह कहते हुए शमशू को उसने साथ आई पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन के दरोगा ने कड़क आवाज में पूछा, "क्यों बे, मुर्दे चुराता है?"

शमशू डरते हुए बोला, "हुजूर, मजबूरी में सोता हूँ।"

"अब यह सब नहीं चलेगा। कहीं और ठिकाना ढूँढ।"

"हुजूर कहाँ ढूँढूँ? मस्जिद या मंदिर के पास सोता हूँ तो हाकाल देते है। धार्मिक या सरकारी संस्थान के आसपास आने नहीं देते। फुटपाथ पर सोते हैं तो कब कोई पियक्कड़ गाड़ी में कुचल दे, कोई भरोसा नहीं। बच गए तो लंगड़ा-लूल्ला बनकर ज़िन्दगी गुजारो।"

"इसमें पुलिस क्या कर सकती है?"

"कम से कम हमें कब्रिस्तान में तो सोने दीजिए, जहाँ डर की बजाए शांति है!"

यह सुनकर स्तब्ध होकर दरोगा महात्मा गाँधी जी की तस्वीर की ओर देखने लगा।

मजबूरी

"मी लार्ड ! आप इसकी भोली सूरत पर न जायें। इसकी हैवानियत को देखिये, एक मासूम बच्ची की हत्या करने के प्रयास में इसे रंगे हाथ पकडा गया है।" यह कहते हुए सरकारी वकील कुमारसेन ने अपनी दलील रखी। इस अनोखे केस को सुनने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट मे लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। कारवाई को आगे बढ़ाते हुए कुमारसेन ने गवाह के रूप मे दरोगा राणे को कटघरे मे बुलाया।

"आपने क्या देखा?"

"कुछ दिन पहले की बात है, जब हम गस्त पर थे, रात 2 बजे के क़रीब सुदामा गली के कोने वाले कुएँ के पास इसे छ:-सात वर्षीय एक बच्ची के साथ देखा।"

"फिर क्या हुआ?"

"पास जाकर देखा तो लगा कि इस व्यक्ति ने बच्ची के हाथ-पैर व मुँह बाँध रखे हैं।कुछ अंदाजा नहीं हो पाया कि यह क्या करने वाला था। सो हम इसे और बच्ची को थाना लेकर आ गए और बच्ची को तुरन्त अस्पताल भिजवा दिया। कोशिश करने के बाद भी...

इसने एक शब्द नहीं कहा।"

"इसने कुछ बताया।" सरकारी वकील ने पूछा।

"जी! नहीं, तब से अब तक इसने अपनी ज़ुबान नहीं खोली।"

"मि लार्ड, यह केस बिलकुल साफ नज़र आ रहा है। इसकी ख़ोमोशी ही इसके गुनाह का सबूत है।अपहरण बलात्कार व हत्या के प्रयास का केस है। बीएनएस धारा 63,109 व 137 के तहत इसे सज़ा दी जानी चाहिए।"

"तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है।" न्यायाधीश मॅडम ने पूछा।

"जी हाँ, जज साहेबा, मुझे फांसी पर लटका दीजिए। मैं अपराधी हूँ। मेरा गुनाह है कि मै ग़रीब हूँ।"

"तुम कहना क्या चाहते हो?"

"मेरा नाम गिरधर है। मैं पास के गोगुल गाँव का कम पढ़ा-लिखा आदिवासी किसान हूँ। मेरी पत्नी की जानलेवा बीमारी के कारण, मेरी जमा-पूंजी ख़तम हो गयी थी। अपनी 5 एकड़ ज़मीन गाँव के साहुकार के पास गिरवी रखकर, इलाज करवाने के लिए शहर चला आया। बाद में पता चला कि साहुकार ने कोरे काग़ज पर मेरा अंगूठा लगवा लिया था।"

"इससे तुम्हारा किया गया गुनाह माफ नहीं होता। तुमने इस बच्ची का अपहरण क्यों किया?" सरकारी वकील ने पूछा।

"क्या कोई बाप अपनी ही औलाद का अपहरण करेगा? बलात्कार व हत्या करेगा?"

"फिर तुम कुएँ के पास क्यों गये थे?"

"सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मेरी पत्नी का निधन हो गया। मैं लाचार, बेबस व मजबूर कुछ दिन तक बचे-खुचे पैसों से ग़ुजारा करता रहा।"

"इस बच्ची का क्या करने वाले थे?"

"सराय के आहाते मे भूखा-प्यासा कब तक रहता। सोचा, अपने बाद इसको दरिंदों से भरी दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए सोचा, हम दोनों ही कुएँ में कूदकर मर जायेंगे। बच्ची चिल्लाये नहीं और कहीं भाग न जाये इसलिए उसके हाथ-पैर और मुँह बाँध दिए थे।"

यह सुनकर कोर्ट मे सन्नाटा छा गया। सभी को फ़ैसले का इन्तज़ार था। न्यायाधीश ने अपने फ़ैसले मे कहा—"अज्ञान, गरीबी, लाचारी व मजबूरी में गिरधर ने यह गुनाह करने का प्रयास किया। क़ानून के मुताबिक जो सज़ा है, वह तो इसे मिलेगी ही। पर, कोर्ट सरकार को यह आदेश देती है कि साहूकार से गिरधर की ज़मीन वापस लेकर उसे दुबारा जीने का अवसर दिया जाऐ।"

तालियों की गूँज के साथ कोर्ट की कारवाई समाप्त हुई।